न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी–डॉ0सूरज सिंह नेगी

अपील संख्या 193/2020 तारीख रजू 26.11.2020

हरिकैलाश पुत्र मलखान जाति मीना निवासी गण्डावर। ---- अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार खण्डार। ---- रेस्पो0

निर्णय **दिनांक 06.08.2021**

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार खण्डार द्वारा मिसल संख्या 277/2020 मे पारित आदेश दिनांक 16.10.2020 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम गण्डावर के आराजी खसरा नम्बर 779/1 रकबा 1.00 बीघा किस्म गैर मुमकिन बेहड पर संवत 2077 मे अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर जोत लगाने का कर्ता मानकर अतिकमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए 90 दिवस के साधारण सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस मे कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई एवं सबूत का कोई समुचित अवसर नहीं दिया है, अपीलान्ट की विधि सम्मत तामील न होते हुए भी उचित तामील मानकर अपीलान्ट के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित कर अवैध निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। यह है कि आराजी खसरा नम्बर 779/1 रकबा 1 बीघा वाके ग्राम गण्डावर पर अपीलान्ट ने सम्वत 2076–77 में कभी कोई अतिक्रमण नहीं किया और न ही वर्तमान में अपीलान्ट का अतिक्रमण है और नहीं भविष्य में विवादित भूमि पर अतिक्रमण करेगा। यह भी निवेदन किया है कि पाश्चतवर्ती के सम्बन्ध अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पूर्व में किये अतिक्रमण के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं होने से अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिचारी नहीं माना जा सकता। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.10.2020 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.24 18:03:19 IST
Reason: SelfAttested

वकील पेराकार सरकार द्वारा वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुये बहस में तर्क दिया गया है कि अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया जिसकी विधिवत रूप से अपीलान्ट के परिवार को तामील हुई है जो अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में शामिल है। अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है तथा पटवारी हल्का के बयान भी अदालत मातहत की पत्रावली में सलंग्न है जिससे साबित होता है कि अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिचारी है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं होने से अपीलान्ट की अपील खारिज की जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है अपीलान्ट के भाई को नोटिस की तामील करवायी गयी। बावजूद सूचना अपीलान्ट अदालत मातहत की समक्ष उपस्थित नही हुआ। अतः वकील अपीलान्ट का तर्क है कि अपीलान्ट सुनवाई/सबूत प्रस्तुत करने का मौका नही दिया गया मान्य नहीं है। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली में पूर्व में किये गये अतिक्रमण के संबंध में पारित निर्णय जिसमें भौतिक रूप से अपीलार्थी को बेदखल किया गया हो इस संबंध में कोई दस्तावेज व पूर्व के किये गये अतिक्रमण के संबंध में पटवारी रिपोर्ट, नोटिस व अन्य दस्तावेज संलग्न नहीं है। अपीलान्ट द्वारा बहस में पश्चातवर्ती के सबूत अदालत मातहत की पत्रावली में सलंग्न नहीं होने के कथन से में पूर्ण रूपेण सहमत हूँ। अतः मेरी राय में अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमे तहसीलदार खण्डार द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.10.2020 में बेदखली, शास्ति का आदेश यथावत रखा जाता है तथा अपीलान्ट को दिये गये 90 दिवस के साधारण सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त किया जाकर सजा माफ की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 06.08.2021 को लिखया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.24 18:03:19 IST
Reason: SelfAttested